Karo-I - Extension Sec 9(1)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 2015/पौष 11, 1936
No. 12] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2015/PAUSHA 11, 1936

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2014

का.आ. 12(अ).–केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii), तारीख 4 अगस्त, 2014 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1990(अ), तारीख 1 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 58.86 हेक्टेयर (लगभग) या 145.38 एकड़ (लगभग) परिक्षेत्र की भूमि में या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम के धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, केन्द्रीय सरकार का पूर्वाक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखण्ड सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 145.38 एकड़ (लगभग) या 58.86 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि के सभी अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इससे संलग्न, अनुसूची में यथा वर्णित 145.38 एकड़ (लगभग) या 58.86 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सतह के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आर.ई.वी./17/2014, तारीख 20 अक्तूबर, 2014 का निरीक्षण उपायुक्त बोकारो, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, कांउसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता–700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, बोकारो एवं करगली क्षेत्र, जिला बोकारो, झारखण्ड, सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (एल. और आर.), सी.सी.एल., दरभंगा हाउस, रांची, झारखण्ड या मुख्य महाप्रबंधक, (खोज प्रभाग), सी.एम.पी.डी.आई.एल, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची, झारखण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

कारो–I विवृत खदान विस्तार परियोजना

जिला–बोकारो, झारखण्ड

(रेखांक संख्या आर.ई.वी. / 17 / 2014, तारीख 20 अक्तूबर, 2014)

सभी अधिकार :

क्रम सं.	ग्राम	थाना	थाना संख्या	जिला	क्षेत्र (एकड़ में) (लगभग)	क्षेत्र (हेक्टेयर में) (लगभग)	टिप्पणी
1.	बड़की कुड़ी	नावाडीह	21	बोकारो	145.38	58.86	भाग
				कुलः	145.38 एकड़ (लगभग) या 58.86 हेक्टेयर (लगभग)		

ग्राम बड़की कुड़ी में अर्जित की गई प्लॉटों की संख्या : 613 (भाग), 614 से 629, 630 (भाग), 631 से 638, 639 (भाग), 640, 641, 642 (भाग), 668 (भाग) और 684.

सीमा वर्णनः

क–ख–ग रेखा, बिन्दु 'क' से प्रारम्भ होती है और ग्राम बड़की कुड़ी के प्लॉट संख्या 613 से गुजरती हुई बिन्दु 'ग' पर मिलती है।

ग–घ रेखा, ग्राम बड़की कुड़ी के प्लॉट संख्या 613 और 649 से गुजरती हुई बिन्दु 'घ' पर मिलती है।

घ–ड.–क रेखा,ग्राम बड़की कुड़ी के प्लॉट संख्या 649, 642, 639, 668, 630, 673, 684, 613 से गुजरती हुई प्रारम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015 / 1 / 2013– पीआरआईडब्ल्यू–I]

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2014

S.O. 12(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1990(E), dated the 1st July, 2014 issued under sub-section (1) of Section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th August, 2014, the Central Government gave notice of its intention to acquire the land and all rights in and over the said land measuring 58.86 hectares (approximately) or 145.38 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And, whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And, whereas, the Central Government after considering the aforesaid and after consulting the Government of Jharkhand is satisfied that the land and all rights in and over the said land measuring 58.86 hectares (approximately) or 145.38 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land and all rights in and over the said land measuring 58.86 hectares (approximately) or 145.38 acres (approximately) described in the Schedule annexed hereto are hereby acquired.

The plan bearing number REV/17/2014, dated the 20th October, 2014 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, District Bokaro, Jharkhand or at the Office of Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata -700001 or at the Office of the General Manager, Bokaro and Kargali Area, District Bokaro, Jharkhand or General Manager (L and R), CCL, Darbhanga House, Ranchi, Jharkhand or Chief General Manager (Exploration Division), CMPDIL, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand.

SCHEDULE

Extension of Karo-I Open Cast Project

District- Bokaro, Jharkhand

(Plan bearing number Rev/17/2014, Dated the 20th October, 2014)

ALL RIGHT :

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area (in acres) (approximately)	Area (in hectares) (approximately)	Remark
1.	Barki Kuri	Nawadih	21	Bokaro	145.38	58.86	Part
				Total:145.38 acres (approximately) or 58.86 hectares (approximately)			

Plot numbers acquired in village Barki Kuri:- 613(P), 614 to 629, 630(P), 631 to 638, 639(P), 640, 641, 642(P), 668(P) and 684.

Boundary description:-

A-B-C Line starts from point 'A' passes through plot number 613 meets at point 'C' in village Barki Kuri.

C-D Line passes through plot number 613 and 649 meets at point 'D' in village Barki Kuri.

D-E-A Line passes through plot number 649, 642, 639, 668, 630, 673, 684, 613 and meets at starting point 'A' in Village Barki Kuri.

[F. No. 43015/1/2013- PRIW-I]

VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.